



मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone



प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टणम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

email : ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.20/2024 (क अ अ)
Establishment Order (N.G.O) No. 20/2024 (JTO)
दिनांक 23 अक्टोबर 2024 Dated 23rd October 2024

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के संवर्ग में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, निम्न स्थानांतरण के आदेश दिए जाते हैं। The following transfer in the grade of Junior Translation Officer is ordered with immediate effect and until further orders:-

सं क्र Sl No.	अधिकारी का नाम (श्री) Name Of The Officer (Shri)	वर्तमान तैनाती स्थान Present Place of Posting	तैनात किया गया स्थान Posted to
1.	बिट्टू ठाकुर Bittu Thakur	मु. आ. का (वि.क्षे) CCO (VZ)	तिरुपति सी जी एस टी (मु. आ. का (वि.क्षे) के ताकत से ऋण आधार पर) Tirupati CGST (On Loan against the strength of CCO (VZ))

2. बोर्ड के फा.सं. ए-11019/17/2018-एडी.IV दिनांक 13.08.2019 के अनुसार, उपरोक्त अधिकारी की तैनाती, मु.आ.का. की स्वीकृत संख्या में से ऋण आधार पर किया गया है। In terms of Board's letter F.No.A-11019/17/2018-Ad.IV dated 13.08.2019, the posting of the above officer is on loan basis from the sanctioned strength of CCO VZ.

3. उपरोक्त अधिकारी के वेतन और भत्ते आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ), विशाखापट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा आहरित किये जाएंगे और उनके सभी सेवा मामलों को विशाखापट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा संभाला जाएगा। The pay & allowances of the officer will be drawn by the DDO, Visakhapatnam CGST Commissionerate and all service matters of the officer would be handled by Visakhapatnam CGST Commissionerate.

4. श्री बिट्टू ठाकुर, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को आज यानि 23.10.2024 की अपराह्न में उनकी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त किया जाता है ताकि वे अपनी नई तैनाती स्थान पर रिपोर्ट कर सकें।

Shri Bittu Thakur, Junior Translation officer is relieved from his present place of posting in the afternoon of today i.e 23.10.2024 to enable him to report at his new place of posting.

5. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए। Necessary entries may be made in relevant records.

6. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

7. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

M. Sreekanth 23/10/2024

(एम. श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

(फाइल सं GCCO/III/(3)/20/2021-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी)

[Issued from file GCCO/III/(3)/20/2021-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]

सेवा में/ To

संबंधित अधिकारी को / The Individual Officer

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम सीजीएसटी / तिरुपति सीजीएसटी ।
2. मु.ले. अधिकारी / आ सं अ विशाखपट्टणम सीजीएसटी / तिरुपति सीजीएसटी।
3. वेतन एवं ले. अधिकारी, विशाखपट्टणम / तिरुपति ।
4. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:-

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST / Tirupati CGST.
2. CAO / DDO Visakhapatnam CGST / Tirupati CGST.
3. PAO of Visakhapatnam/ Tirupati.
4. Notice Board/website/Stock file.